

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05-06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 30 मार्च, 2007 चैत्र 9, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्याः यूपीईआरसीः सचिवः / एस०ए०सी० / 2007-376 लखनऊ, 30 मार्च, 2007

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की घारा 87 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य) विनियमावली 2004 की घारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नियामक आयोग निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति का गठन करता है :-

1-	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयाग	चर्चन ग्राम्या	
2-	सदस्य, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	– पदेन सदस्य	
	सदस्य, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	– पदेन सदस्य	
3-	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद विभाग	– पदेन सदस्य	
4-	साचव, उत्तर प्रदेश शासन, जाव तथा राज्य र	– सदस्य	
5-	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग	- सदस्य	
6-	प्रबन्ध निदेशक, डिंस्काम (क्रमानुसार)	– सदस्य	
7-	श्री संजय भूसरेड्डी, निदेशक, नेडा	– सदस्य	
8-	प्रो० एस०सी० श्रीवास्तव, डीन, आई०आई०टी० कानपुर	– सदस्य	
9-	मुख्य अभियन्ता (वितरण). नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद	– सदस्य	
10-	श्री एस बी अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी, ऐसोचैम, लखनऊ	– सदस्य	
11-	थी तरूण खेत्रपाल, आई आई ए, लखनऊ	– सदस्य	
12-	की राज्या तिरार्थी निदेशक मानवोदय, रायपूर, लखनक		
13-	मधी गनीता पियदर्शिनी स्टेट हैड. सी आई आई, उ०४०, लखनज	– सदस्य	
	श्री रणवीर सिंह, 4/94, विशाल खण्ड: गोमती नगर, लखनऊ	– सदस्य	
14-	सुश्री अर्चना श्रीवास्तव, संवाददाता, टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ	– सदस्य	
15-	श्री जयन्तकृष्ण, प्रमुख सलाहकार एवं आर०एम०, टी०सी०एस० लखनऊ	– सदस्य	
16-	श्री विजय आचार्य, प्रेसिडेण्ट, भारत ज्योति, लखनऊ	– सदस्य	
17-	श्री विजय आचाय, प्रसिडण्ट, नार्सा उतारा, श्री ए०के० वर्मा, प्रेसिडेण्ट, यू०पी० राज्य विद्युत उपमोक्ता परिषद्, लखन	ऊ – सदस्य	
18-	श्री ए०क० वमा, प्रासंडण्ट, यूवपाव राज्य विद्या विभागा	– सदस्य	
19-	श्री एस०एस० गोयल, एन०सी०आई० यू०पी० आगरा	आयोग के आदेश,	
		संगीता वर्मा,	
		सचिव	
	उत्तर प्रदे	श विद्युत नियामक आय	

In pursuance of the powers vested under section 87 of the Electricity Act 2003 *read* with clause 3 of the UPERC (Constitution of State Advisory Committee and its Functioning Regulations, 2004, UPERC constitutes the State Advisory Committee (SAC) as under.

No. UPERC/Seey-SAC-2007-376 Dated Lucknow, March 30, 2007

1.	Chairman, UPERC	Ex-officio Chairman
2.	Member, UPERC	Ex-officio Member
3:	Member, UPERC	Ex-officio Member
4.	Secretary, Food & Civil Supplies, Government of U.P.	Ex-officio Member
5.	Secretary, Government of U.P., Energy Department	Member
6.	MD, Discom. (by rotation)	Member
7.	Shri Sanjay Bhoosreddy, Director, NEDA	Member
- 8.	Prof. S.C. Srivastava, Dean, IIT, Kanpur	Member
9.	CE (Distribution), NC Railway, Allahabad	Member
10.	Shri S B Agarwal, General Secretary, ASSOCHAM, Lko.	Member
11.	Shri Tarun Khetrapal, President, IIA, Lucknow	Member
12.	Shri Varun Vidyarthi, directory, Manvodaya, Raipur, Lko	Member
13.	Ms Puneeta Priyadarshini, State Head, CII, UP, Lko	Member
14.	Shri Ranvir Singh, 4/94, Vishal Khand, Gomtinagar, Lucknow	Member
15.	Ms Archana Srivastava, Correspondent, TOI, Lucknow	Member
16.	Shri Jayant Krishna, Principal Consultant & RM, TCS, Lucknow	Member
17.	Shri Vijay Acharya, President, Bharat Jyoti, Lucknow	Member
18.	Shri A K Verma, Presient, UP Rajya Vidyut Upbhokta Parishad,	Member
	Lucknow	
19.	Shri S S Goyal, NCIC, UP, Agra	Member

By order of Commission, SANGEETA VERMA, Secretary.